

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम )

कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

कंपनी सचिव प्रभाग

सं. एसईसी-1/(218)/2008

दिनांक: 14 अक्टूबर, 2008

कार्यालय आदेश

विषय : -"आरईसी की कपट निवारण नीति" में संशोधन - एमआईएस रिपोर्ट

संदर्भ : 1) परिपत्र सं. एसईसी -4/1/(314)/2007/253 दिनांक 23.5.2007

2) परिपत्र सं. एसईसी -1/218/2007/1146 दिनांक 29.5.2008

उपर्युक्त परिपत्र दिनांक 23.5.2007 और कार्यालय आदेश दिनांक 29.5.2008 के अनुक्रम में, निदेशक मंडल ने 11 सितंबर, 2008 को आयोजित अपनी 340वीं बैठक में "आरईसी की कपट निवारण नीति" की निम्नलिखित रिपोर्ट संबंधी अपेक्षाओं को अनुमोदित किया है:-

एमआईएस रिपोर्ट

क) यह सुनिश्चित किया जाना है कि 1.00 लाख और इससे अधिक राशि वाले कपट के सभी मामलों को, नोडल अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच में साबित हो जाने पर तत्काल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और

ख) प्रारंभिक जांच में साबित हो जाने पर कपट के सभी मामलों की सूचना कार्यकारी निदेशक(आं.ले.प.)/ महाप्रबंधक(आं.ले.प.)द्वारा निदेशक मंडल की आंतरिक लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

ह./.

(बी.आर.रघुनंदन)

महाप्रबंधक(विधि)एवं कंपनी सचिव